



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244465
CG-DL-E-18032023-244465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1212]
No. 1212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1261(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 अप्रैल, 2019 में संख्याक का.आ.1591(अ), द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

“(2) श्री एम पी शाह,

सदस्य”।

महानिदेशक, कारपोरेट कार्य,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/2/2019-पीआई]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1591(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 642(अ) तारीख 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O 1261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“(2) Shri M P Shah Member”.
Director General of Corporate Affairs,
Ministry of Corporate Affairs,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/2/2019-PI]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1591(E), dated the 12th April, 2019 and was last amended *vide* Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 642(E), dated 17th September, 2021.